भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1889
दिनांक 02.08.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

पासपोर्ट कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी

1889. **श्री एम. के. राघवनः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कोझिकोड क्षेत्र के पासपोर्ट कार्यालय में कर्मचारियों की कमी नोट की है और यदि हां, तो इसे दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार उन अनिवासी भारतीयों के प्रत्यावर्तन से निपटने के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने की योजना बना रही है, जो अन्य देशों में विभिन्न कारणों से संकट में हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केरल से विभिन्न देशों में प्रवास के नवीनतम आंकड़े क्या हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्ति वर्धन सिंह)

(क) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कोझीकोड में केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन (सीपीओ) के अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यरत संख्या 69 है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने सीपीओ के पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों की नियमित पदोन्नति, सीपीओ में अधिकारियों और कर्मचारियों की सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति तथा संविदा के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति सहित विभिन्न कदम उठाकर आवश्यकतानुसार जनशक्ति बढ़ाने का प्रयास किया है।

(ख) केंद्र सरकार ने विदेशों में संकट में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कई तंत्र स्थापित किए हैं, जिनमें ई-माइग्रेट वेब पोर्टल, मदद पोर्टल, प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र, 24x7 हेल्पलाइन, भारतीय मिशनों और केंद्रों में ओपन हाउस शामिल हैं। फंसे हुए भारतीयों को सहायता प्रदान करने के लिए विदेशों में भारतीय मिशनों/केंद्रों में भारतीय समुदाय कल्याण कोष की स्थापना की गई है, जैसे कि भोजन और आवास की सुविधा, आपातकालीन चिकित्सा देखभाल, कानूनी सहायता और साधन परीक्षण के आधार पर भारत वापस लाने के लिए हवाई यात्रा।

(ग) आव्रजन ब्यूरो (बीओआई) उन यात्रियों को आव्रजन मंजूरी प्रदान करता है जो वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ यात्रा करते हैं। मानव प्रवास से तात्पर्य स्थायी या अस्थायी रूप से बसने के इरादे से लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है। भारतीय नागरिकों को जारी किए गए पासपोर्ट का राज्यवार विवरण उपलब्ध नहीं है क्योंकि भारतीय नागरिक अपने वर्तमान आवासीय पते के आधार पर भारत में कहीं से भी पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं जो उनके वास्तविक निवास स्थान से भिन्न हो सकते हैं। आव्रजन ब्यूरो राज्यवार डेटा को अलग नहीं कर सकता है। इसके अलावा, कुछ देश 'विजिट वीजा' जैसे अल्पकालिक वीजा प्रदान करते हैं जिन्हें गंतव्य देश में पहुंचने के बाद अन्य श्रेणी में परिवर्तित किया जा सकता है।

हालाँकि, ई–माइग्रेट पोर्टल पर उपलब्ध केरल से उत्प्रवास मंजूरी अपेक्षित (ईसीआर) देशों के लिए उपलब्ध उत्प्रवास मंजूरी (ईसी) डेटा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	देश	2024 में जारी किए गए ईसी की संख्या (01.01.2024 से 22.07.2024 तक)
1.	बहरीन	283
2.	इराक	10
3.	जॉर्डन	6
4.	कुवैत	624
5.	मलेशिया	65
6.	ओमान	1368
7.	कतर	844
8.	सऊदी अरब	4716
9.	संयुक्त अरब अमीरात	475
कुल		8391

*****